



Neutral Citation No. 2026:AHC:60875

उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रक्रीण जमानत आवेदन संख्या 2396 वर्ष 2026

मनोज कुमार

...आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी (गण)

आवेदक के अधिवक्ता: आनंद कुमार चौधरी, मनीष दुबे, सौमित्र द्विवेदी, विनीत कुमार सिंह
विपक्षी के अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री मनोज गौतम को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक मनोज कुमार की ओर से दायर किया गया है, जिसमें विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन में पंजीकृत केस अपराध संख्या 529 वर्ष 2025, धारा 7/8/11/13 यू.पी. सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार आवेदक को सह-अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार के स्थान पर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक, जो 8.9.2025 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।
4. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप यह है कि आवेदक को सह-अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार के स्थान पर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया था और उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक 8.9.2025 से जेल में बंद है।
6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और रिकॉर्ड से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपरोक्त केस अपराध में शामिल आवेदक-मनोज कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र (पर्सनल बॉन्ड) और इतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां जमा करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:
- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक (i) मामला खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
 - (iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब ट्रायल कोर्ट में गवाह उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
 - (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। ट्रायल कोर्ट इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

23 मार्च, 2026

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।